न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर :– 11/2018 (RCMS No. :-2018/00019)

उनवानी प्रकरण :–

रामनाथ पुत्र सुखलाल जाति मीना निवासी ग्राम धौधें का पुरा, तहसील बाडी जिला धौलपुर————————————————————अपीलान्ट

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर जिला धौलपुर —— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.01.2018 नायब तहसीलदार कंचनपुर प्र.सं. 31/18 उनवानी राज0 सरकार बनाम रामनाथ अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव अभिभाषक।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–30.04.2018

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार कंचनपुर के निर्णय दिनांक 19.01.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि अपीलान्ट के खिलाफ पटवारी हल्का ग्राम लखेपुरा तहसील बाडी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 885 रकवा 9 बीघा 9 बिस्वा में से 10 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 893 रकवा 8 बिस्वा में से 4 बिस्वा पर नाजायज अतिक्रमण कर फसल सरसो व गेंहू के बाबत 91 एलआर एक्ट की कार्यवाही की जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट को नही दी तथा इकतरफा कार्यवाही कर सिविल कारावास की सजा दी है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलान्ट पर कोई तामील नही हुई है न अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत बिना सुने व जवाबदेह का अवसर दिये होने के कारण काबिल निरस्ती है। पटवारी हल्का से कोई जिरह का मौका नही मिला न पुराना कब्जा बावत कोई साक्ष्य रही इसके बावजूद अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है। अपील जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.01.2018 निरस्त किया जावे।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री गोपाल नारायण शर्मा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2018 , रिपोर्ट पटवारी हल्का एंव बयान पटवारी हल्का की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी मानते हुए शास्ती एवं एक माह के कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जो अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट पर नोटिस की तामील नही कराई है और ना ही साक्ष्य एंव सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एकपक्षीय है जो अपीलान्ट पर किसी भी प्रकार से प्रभावी नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 03.04.2018 को हुई। अपील प्रस्तुत किये जाने में किसी प्रकार की लापरवाही व देरी नही की है। धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य मे कोई कब्जा नही करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.01.2018 खारिज किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलार्थीगण विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने के आदी है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर हुई है। निर्णय दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था। अतः अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलान्ट पर नोटिस की तामील नही हुई है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर नही दिया गया सत्य नही है क्योकि अपीलान्ट निर्णय दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग करनी चाहिए थी, जो उसके द्वारा नही की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कानूनी भूल नहीं की गई है। निर्णय पूर्ण रूपेण सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.012018 यथावत रखा जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस सुनने एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

1. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फसल नीलामी कार्यवाही मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा आराजी पर फसल सरसो बोकर अतिक्रमण किया गया है।
2. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, बयान एवं खसरा परिवर्तनशील से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि पर पूर्ववर्ती अतिक्रमी है।
3. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत नहीं है कि अपीलान्ट पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामील नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील अपीलान्ट पर हुई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट निर्णय दिनांक को उपस्थित था।
4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि अपीलान्ट को सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है, असत्य है क्योकि अपीलान्ट निर्णय दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग करनी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की हो।
5. अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में कभी कब्जा नही करेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार कंचनपुर मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्ट का कब्जा नही है। यदि अपीलान्ट शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में नायब तहसीलदार अपीलान्ट के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एंव निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर, धौलपुर
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर राज.

अपील नं: 57/2018

रामनाथ —— बनाम —— सरकार

बाबत कब्जा छोड़ने बाबत

शपथपत्र

शपथ पत्र निम्नानिक रामनाथ पुत्र सुरजनलाल उम्र करीब 55 साल जाति - मीना निवासी ग्राम - धोबेका पुरा उप तहसील - कंचनपुर तहसील - बाड़ी जिला - धौलपुर राज.

(1) मैं हलफन सही बयान करता हूँ कि मैं उपरोक्त उनवानी अपील में अपीलार्थी हूँ तथा हालात अपील से पूर्ण रूप से परिचित हूँ।

(2) मैं हलफन सही बयान करता हूँ कि मैंने आराजी ख.नं. 845 रकबा 3 बीघा [illegible] के रकबा 10 बिस्वा से तथा ख.नं. 893 रकबा [illegible] रकबा 5 बिस्वा जो कि ग्राम छरोली उप तह. कंचनपुर तहसील बाड़ी जिला धौलपुर में स्थित है से अपना कब्जा छोड़ दिया है। तथा भविष्य में भी कोई कब्जा नहीं करूंगा तथा [illegible] उक्त आराजी [illegible] के बाबत [illegible] कोई [illegible] नहीं है, [illegible]

शपथग्रहीता

दिनांक 24/4/18

रामनाथ

Identified

सत्यापन

(3) मैं हलफन सही बयान करता हूँ कि शपथ पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित तथ्य मेरी निजी जानकारी व [illegible] के आधार पर सही व सत्य है। इसमें कोई तथ्य गलत या असत्य नहीं लिखे गये हैं तथा [illegible] धौलपुर दिनांक 24/4/18 को की गई।

शपथग्रहीता

रामनाथ

Identified

शपथग्रहीता
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

प्रमाणित फोटो प्रति
रीडर 1/5/18
न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर

रामनाथ
55 मीणा
[illegible]
रामनाथ
24.04